

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अंचलाधिकारी,
बिहार।

पटना-15 दिनांक-03-01-2026

विषय :- जाली/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, 2025 के अन्तर्गत प्रमण्डलीय मुख्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि नामांतरण, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, बंदोबस्ती, सीमांकन, भू-अर्जन, सार्वजनिक भूमि से संबंधित वादों एवं अन्य राजस्व कार्यवाहियों में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जाली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनका यह कृत्य न केवल प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला भी बनता है।

2. उल्लेखनीय है कि इस तरह के मामले विगत समीक्षात्मक बैठक में भी विभाग के संज्ञान में आये हैं, जिसमें जाली/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अंचलाधिकारी के स्तर से कोई प्रथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।

3. उक्त परिपेक्ष्य में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि यदि किसी भी भू-राजस्व कार्यवाही में प्रथम द्रष्टया यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जाली अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय थाने में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए।

4. आपकी सुविधा हेतु भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रश्नगत मामले से संबंधित निम्नवत् सुसंगत धाराओं का उल्लेखन किया जा रहा है, जिसका प्रयोग प्राथमिकी दर्ज किये जाने के समय किया जा सकता है :-

- (i) धारा-336 (3) एवं धारा-336 (4) कूटरचना (Forgery)
(ii) धारा-339, (धारा-337 में वर्णित दस्तावेजों को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना।)
(iii) धारा-340(2), कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।
(iv) धारा-318(4), छल (Cheating)
(v) धारा-324(5), रिष्टि (Mischief)
(vi) परिस्थितियों के अनुसार धारा-61(2)(a) आपराधिक षडयंत्र (Criminal Conspiracy)

5. उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन किये जाने के निमित्त संबंधित अंचलाधिकारी का दायित्व होगा कि :-

(i) सरकारी भूमि के संबंध में प्रश्नगत मामले में संबंधित अंचलाधिकारी के स्तर से स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

(ii) दो पक्षों के बीच निजी/रैयती भूमि पर विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होने पर जाँचो'उपरान्त अंचल अधिकारी/राजस्व पदाधिकारी के अग्रसारण/अनुशंसा/प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी/शिकायतकर्ता के आवेदन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

6. उक्त आलोक में जाली दस्तावेज के आधार पर कोई आदेश पारित न किया जाय। यदि पूर्व में कोई आदेश पारित किया जा चुका हो तो उसकी विधि सम्मत समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज न कराना अथवा मामले को दबाने का प्रयास कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं कदाचार माना जायेगा जिसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

निदेश दिया जाता है कि उक्त का अनुपालन दृढ़तापूर्वक कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(गोपाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक :-11/विधि-126/2025-1..... (11)/रा0, पटना-15, दिनांक-03-01-2026
प्रतिलिपि :-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/
सभी पुलिस अधीक्षक/सभी अपर समाहर्ता एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/2026
(गोपाल मीणा)
सचिव